राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

कमांकः–ई–33/नियु0/ग्रा0लै0टे0/1185/2009/ दिनांकः–

आदेश

उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के कमांक प01(2)चिस्वा/ग्रुप–2/2007 दिनांक 15.5.2008 एवं वित्त (व्यय–1) विभाग के आई0डी0 संख्या 1005 दिनांक 6.5.2008 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 2008 के अन्तर्गत ग्रामीण लैब टेक्नीशियन के पद हेतु निदेशालय के कमाकः–स्था/सीधीभर्ती/ग्रा0लै0टेक्नी0/08/664 दिनांक 7.7.08 के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित अभ्यार्थियों को साक्षात्कार के आधार पर निदेशालय के कमांक ई–33/लैब टेक्नी/1185/2008/174 दिनांक 20.2.09 के द्वारा चयनित किया गया है, को कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की समयावधि के लिए प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 7900/– पर नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन किया जाता है । दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशनल ट्रेनी) सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर ही पद की वेतन श्रृंखला 5200–20200 का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें। चयनित अभ्यर्थियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी ।

कसं0	अभ्यर्थी का नाम मय पिता, पति का नाम	गृह जिला	स्त्री / पु0	जन्म तिथि	वर्ग	नियुक्ति हेतु आवंटित जिला
1	अनिल कुमार शर्मा/ पूरनमल शर्मा	जयपुर	M	20.6.74	GEN	जयपुर प्रथम
2	संजय शर्मा / बजरंगलाल शर्मा	जयपुर	M	18.11.88	GEN	जयपुर द्वितीय
3	सुमित पुरोहित /गोपाललाल पुरोहित	जोधपुर	M	4.6.86	GEN	जोधपुर
4	हिमांशु शर्मा / ललितकिशोर शर्मा	दौसा	M	18.12.86	GEN	दौसा
5	सुशीलकुमार शर्मा /संतोषकुमार शर्मा	दौसा	M	21.12.89	GEN	दौसा
6	महेश कुमार लाटा/सीताराम शर्मा	जयपुर	M	20.8.76	GEN	जयपुर द्वितीय
7	योगेशकुमार गुप्ता/कल्याणप्रसाद गुप्ता	दौसा	M	25.7.88	GEN	दौसा
8	राजेश कुमार शर्मा/प्रभूनारायण शर्मा	जयपुर	M	10.8.76	GEN	जयपुर प्रथम
9	रघुवरदास जाटव /प्रभूलाल जाटव	करौली	M	15.7.72	SC	बून्दी
10	महेश कुमार वर्मा / मालीराम	सीकर	M	1.12.76	SC	सीकर

उपरोक्त उल्लेखित अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारी को दिनांक 30.11.2009 तक आवश्यक रूप से देवें। उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिजिकल फिटनेस प्रमाण पत्र), दिनांक 22.5.06 से पूर्व यदि विवाह हुआ हो तो शपथपत्र एवं दिनांक 22.5.06 के पश्चात हुए विवाह के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दो चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग–अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये हो, प्रस्तुत करने होगें। इस तिथि के पश्चात् नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। आपराधिक दोष सिद्धि न होने का प्रमाण पत्र (पुलिस वैरीफिकेशन) संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया हो, प्राप्त होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराया जावेंगा । आचरण संदिग्ध अथवा दोष सिद्धि के कारण सजा होने की स्थिति में कार्यग्रहण न कराकर प्रकरण पूर्णरूप से तैयार कर मय दस्तावेजात के साथ अग्रिम आदेशार्थ संबंधित अधिकारी द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किये जायेंगे ।

चयनित अभ्यर्थी कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित अधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वह आपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागी होगा । किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी पात्रता संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र बाद सत्यापन असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे ।

दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नही होने का शपथपत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया हो, उपस्थिति रिपोर्ट के साथ उपरोक्त उल्लेखित शर्तो को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसके अभाव में अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र नहीं माना जावेगा ।

नोट– उक्त नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर मे दायर रिट याचिका सं0 2430/09 एवं 5038/09 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन माने जावेगे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

कमांकः–ई–33/नियु0/ग्रा0लै0टे0/1185/2009/ 1188 दिनांकः– 26/10/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर ।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
3– उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर ।
4– निदेशक, जन स्वास्थ्य/एड्स/प0क0 मुख्यालय ।
5– वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय ।
6– संयुक्त निदेशक योजना मुख्यालय ।
7– समस्त संयुक्त निदेशक, चिकि0 एवं स्वा0 सेवाएं जोन
8– समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि जिन अभ्यर्थियों का आपके अधीन ग्रामीण लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उनका पदस्थापन आपके अधीन ग्रामीण क्षेत्र की (शहरी क्षेत्र में नहीं) उन चिकित्सा संस्थाओं में तत्काल प्रभाव से कर दिया जावे जहॉ पद रिक्त है तथा जहॉ पर पैथोलॉजी लैब कार्यशील अवस्था में है । किसी भी परिस्थिति में कोई लैब टेक्नीशियन अनुपयोगी ना रहे यह सुनिश्चित किया जावे । आपके जिले में पदस्थापित किए गए अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र विशेष वाहक से भिजवाये जा रहे है । आप आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को मूल शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों से मिलान कर सही पाये जाने एवं पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत कर्तव्य पर लेवें । यदि किसी दस्तावेज की प्रमाणिकता संदिग्ध पायी जावे तो उन मामलों में स्पष्ट रिपोर्ट के साथ प्रकरण इस निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिशंषा सहित अग्रेषित करें । इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते है कि कार्यग्रहण उपरान्त भी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन 30 दिवस की अवधि में संबंधित राज्य के बोर्ड/संस्थान में वाहक भेजकर आवश्यक रूप से करवाया जावे। अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज इसके पश्चात ही लौटाये जावे एवं सत्यापन की रिपोर्ट भी अविलम्ब निदेशालय को भेजे । इस प्रकिया में हुई किसी भी अनियमितता के लिए आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा ।
9– श्री/श्रीमती/सुश्री.. को उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर पालनार्थ ।
10– प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय।
11–आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर